Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 7 | JULY 2024

बाल अपराध - प्रकार और उपचार विधियां

धर्मदास जैसवार [1]

[1] **सहायक आचार्य, समाजशास्त्र, सेठ फूलचन्द छीतरमल जैन महाविधालय पीसांगन, अजमेर.**

ABSTRACT:

जब किसी भी बालक द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते है। आयु वर्ग के अनुसार 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष तक आयु के बालक तथा 18 वर्ष से कम तक की आयु की लड़कियों द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य इस अपराध श्रेणी में रखा जाता है। केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती वरन इसमे अपराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण पक्ष है। 7 से 16 वर्ष तक का लडका तथा 7 से 18 वर्ष तक की लडकी द्वारा कोई भी ऐसा अपराध किया गया हो जिसके लिए राज्य मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास देता है।

KEYWORDS:

बाल अपराध प्रकार, उपचार विधियां।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
29th July 2024	30th July 2024

विषय प्रवेश:

गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार की समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसीलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है। बाल अपराधों में बालकों के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है। इसके अलावा बालकों के ऐसे व्यवहार की जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते है। रॉबिन्सन के अनुसार आवारागर्दी, भीख माँगना, निरुद्देश्य इधर-उधर घूमना उदण्डता बाल अपराधी के लक्षण है। मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययनों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि मनुष्य में अपराध वृत्तियो का जन्म बचपन में ही हो जाता है। अकेक्षणों द्वारा यह तथ्य प्रकट हुआ है कि सबसे अधिक और गंभीर अपराध करने वाले किशोरावस्था के ही बालक होते हैं। इस लिहाज से किशोर अपराध की एक महत्वपूर्ण कानूनी, सामाजिक, नौतिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में देखा गया है। किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत सहयोग होता है; अतः अपने उचित और अनुचित व्यवहार के लिए किशोर बालक स्वयं नहीं वरन उसका वातावरण उत्तरदायी होता है।

किशोर बाल अपराध क्यों करते हैं, इस संबंध मे विभिन्न मत है। मानवशास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपराध का संबंध वंशानुक्रम, शारीरिक बनावट एवं जातिगत विशेषताओं से है। वहीं मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है कि अपराध का संबंध न तो उत्तराधिकार से होता है और न ही शारीरिक बनावट से; उत्तराधिकार में केवल शारीरिक विशेषताऐ ही प्राप्त होती है, उनका व्यक्ति की भावनाओं, आकांक्षाओं, प्रवृत्तियों एवं बुद्धि से सीधा संबंध नहीं होता है।समाजशास्त्रियों का कथन है कि अपराध का जन्म दूषित वातावरण, यथा गरीबी, उजड़े परिवार, अपराधी साथी आदि है

बाल अपराध व्यवहार की शैली और समय मे विविधता प्रदर्शित करता है। हार्वड बेकर ने चार प्रकार के बाल अपराध बताते है -

(क) वैयक्तिक बाल अपराप

(ख) समूह समर्थित अपराध

(ग) संगठित बाल अपराध

(घ) स्थिति जन्य बाल अपराध

वैयक्तिक बाल अपराध वह बाल अपराध है जिसमें एक व्यक्ति ही अपराधिक कार्य करने में संलग्न होता है और इसका कारण भी अपराधी व्यक्ति मे ही खोजा जाता है। मनोचिकित्सकों के अनुसार बाल अपराध दोषपूर्ण पारिवारिक अन्तकिया प्रतिमानों से उपजी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किये जाते हैं।

समूह समर्थित बाल अपराध के अन्तर्गत बाल अपराध अन्य बालकों के साथ रहने से घटित होता है और इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व या परिवार मे नहीं मिलता बल्कि उस व्यक्ति के परिवार व पड़ोस की संस्कृति में छुपा होता है। थ्रेसर शौ और मैंके तथा सदरलैंड ने इसे व्यापक रूप से स्पष्ट किया है।

संगठित बाल अपराध में वे अपराध सम्मिलित हैं जो औपचारिक रुप से संगठित गिरोह द्वारा किये जाते है, इस प्रकार के अपराधों का विश्लेषण सन 1950 के दशक में अमरीका में किया गया था तथा अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा का विकास गया था। यह अवधारणा उन मूल्यों और मानदण्डों की और संकेत करती है जो समूह के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करते है, अपराध करने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करते है, इस प्रकार के कृत्यों पर उन्हें प्रस्थिति प्रदान करते हैं और उन व्यक्तियों के साथ उनके संबंधों को स्पष्ट करते है जो समूह मानदण्डों से बाहर के समूह होते है।

स्थितिजन्य अपराध की मान्यता यह है कि अपराध गहरी जड़े नही रखता और अपराध के प्रकार और इसके नियंत्रित करने के साधन अपेक्षाकृत बहुत सरल होते है, एक युवक की अपराध के प्रति गहरी निष्ठा के बिना अपराधी कृत्य में संलग्न हो जाता है, या तो वह कम विकसित अन्त : नियंत्रण के कारण होता है या परिवार नियंत्रण में कमजोरी के कारण या इस विचार के कारण कि यदि वह पकड़ा भी जाता है तो भी उसकी अधिक हानि नहीं होगी डेविड माटजा ने इसी प्रकार के अपराध का संदर्भ दिया है।

बाल अपराध के लिए मनोचिकित्सकों, समाजशास्त्रियों ने उपचार की विभिन्न विधियां सुझाई है जिनमें प्रमुख है- मनोचिकित्सा :- यह मनोवैज्ञानिक साधनों से संवेगात्मक और व्यक्तित्व संबधी समस्याओं का निदान करती है। यह बाल अपराधी के विगत जीवन में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विषय में भावनओं और अभिधारणाओं को बदलकर उपचार करती है जब बच्चों के सबंध प्रारंभिक अवस्था में अपने मां-बाप से अच्छे नही होते तो उसका संवेगात्मक विकास अवरुद्ध हो जाता है, परिणामस्वरूप अपने परिवार के भीतर ही सामान्य तरीकों से संतुष्ट न होकर वह अपनी बाल आकांक्षाओं की संतुष्ट करने के प्रयत्न में ओवेशी हो जाता है। इस प्रकार की आकांक्षाओं एवं आवेशों की संतुष्टि असामाजिक व्यवहार का रूप धारण कर सकती है। मनोचिकित्सा के माध्यम से अपराधी को चिकित्सक द्वारा स्नेह और स्वीकृति के वातावरण में खुलने का अवसर प्रदान किया जाता है।

यथार्थ चिकित्सा :- यथार्थ चिकित्सा इस विचार पर आधारित है कि अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पाने वाले व्यक्ति गैर जिम्मेदार पूर्ण कार्य, व्यवहार करते हैं। यथार्थ चिकित्सा का उद्देश्य अपराधी बालक के जिम्मेदारी से काम करने में सहायता प्रदान करना है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है

व्यवहार चिकित्सा :- इसमें नवीन सीखने की प्रक्रियाओं के विकास द्वारा बाल अपराधी के सीखे हुऐ व्यवहार में सुधार लाया जाता है। बालक के व्यवहार को पुरुस्कार या दण्ड द्वारा बदला जाता है । नकारात्मक प्रबलन निषेधात्मक व्यवहार को कम करता है जबकि सकारात्मक प्रबलन सकारात्मक व्यवहार को बनाऐ रखता है। व्यवहार को बदलने में दोनों ही प्रकार के कारणों का प्रयोग किया जा सकता है।

क्रिया चिकित्सा :- कई बच्चों में समूह स्थितियों में प्रभावी ढंग से मौखिक संवाद करने की क्षमता नहीं होती है। क्रिया चिकित्सा विधि में बच्चों की उन्मुक्त वातावरण में कुछ न कुछ कार्य करवाये जाते हैं। जहां वह अपनी आक्रमकता की भावना की रचनात्मक कार्यों, खेल या शैतानी में अभिव्यक्त कर सकता है।

परिवेश चिकित्सा विधि :- यह ऐसा वातावरण पैदा करती है जो सुविधाजनक अपूर्ण परिवर्तन तथा संतोष जनक समायोजन प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका विचलित व्यवहार जीवन की विषम स्थितियों के प्रतिक्रिया स्वरूप होता है।

उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त बाल अपराधियों की उपचार में तीन और विधियों का भी प्रयोग किया जाता है -

1. व्यक्तिगत समाज कार्य अर्थात कुसमायोजित बच्चे का उसकी समस्याओं से निपटने में सहायता करता है। व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता परिवीक्षा अधिकारी प्रभावी सलाहकार हो सकता है।

2. व्यक्तिगत सलाह अर्थात अपराधी बालक को उसकी तुरंत स्थिती को समझना और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए पुर्वशिक्षित करना।

3. व्यवसायिक सलाह अर्थात बाल अपराधी को उसके भावी जीवन के चुनाव में सहायता करना है।

सारांश:-

जब किसी बालक द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहा जाता है बाल अपराध प्रारंभिक अवस्था में रोका जा सकता है। यदि घर पर तथा विद्यालयों में उचित देख रेख की जाये एवं बालक को स्वस्थ परिवेश तथा स्वस्थ मानसिक परिवेश प्रदान किया जाये तो बालक अपराध की ओर अग्रसर नहीं होगा। यदि किन्ही कारणों से उसने अपराध जगत में प्रेवश कर भी लिया है तो उसे मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सकीय परामर्श के द्वारा अपराध जगत से विमुख किया जा सकता है।

REFERENCES

1. राम आहूजा, मुकेश आहूजा - अपराध शास्त्र

2. डॉ. संध्या श्रीवास्तव - बाल अपराध

3. डॉ. मधु कुमारी - अपराध एवं बाल अपराध

4. विनायक त्रिपाठी - बालश्रम और अपराध